

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0 :-3/अ०प्र०-1-169/21

4432

/पटना, दिनांक :- 21.4.25

श्री समीर कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गोपालगंज-1 के विरुद्ध पंचायत चुनाव में गश्ती दल दण्डाधिकारी का दायित्व पूर्ण करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने के संबंध में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 4866 दिनांक 19.11.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों तथा मुख्यालय/कार्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा यदाकदा उपस्थित होकर कनीय अभियंताओं एवं संवेदक को डराने/धमकाने एवं अवर प्रमंडलीय कार्यालय की चाबी लेकर फरार रहने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल गोपालगंज-1 के पत्रांक 2135 दिनांक 18.11.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना सं० 1879 दिनांक 29.12.2021 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय निर्धारित किया गया।

2. श्री सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय अधिसूचना सं० 605 दिनांक 10.03.2022 द्वारा मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 66 अनु० दिनांक 20.01.2025 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4. इस बीच ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निलंबन की समीक्षा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं० 13888 दिनांक 21.07.2023 एवं आदेश सं० 21590 दिनांक 23.11.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में श्री समीर कुमार सिंह के संबंध में निम्न अनुशंसा की गई है-

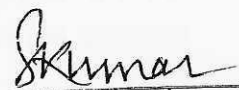
“श्री समीर कुमार सिंह तीन वर्षों से अधिक अवधि से निलंबित हैं तथा विभागीय कार्यवाही का अंतिम रूप से निष्पादन होने में विलम्ब की संभावना है।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-107 दिनांक 06.11.1993 के अनुसार लंबी अवधि से निलंबन के फलस्वरूप सरकारी लोक सेवकों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं निलंबन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता देने के चलते सरकार को भी आर्थिक बोझ उठानी पड़ती है।

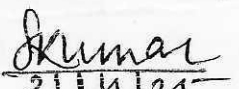
अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के प्रावधानों के आलोक में श्री समीर कुमार सिंह का तीन वर्षों से अधिक निलंबन अवधि एवं सरकार की आर्थिक बोझ को देखते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी।”

5. समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।
6. अतः उक्त के आलोक में श्री समीर कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1 को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।
7. श्री सिंह के निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

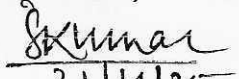
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(संजय कुमार) 21/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-169/21 4433 /पटना, दिनांक:- 21.4.25
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अवर सचिव) 21/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-1-169/21 4433 /पटना/दिनांक:- 21.4.25
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1/प्रशाखा पदाधिकारी-5/श्री समीर कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1 सम्प्रति मुख्यालय- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अवर सचिव) 21/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-169/21

4433

/पटना/दिनांक:- 21.4.25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

S Kumar
21/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-169/21

4433

/पटना/दिनांक:- 21.4.25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

S Kumar
21/4/25
अवर सचिव